

359

467

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

पुनरीक्षण क्र०-...../15-16



20

Rs. 20/-

RS 0253116

1- भोला प्रसाद पिता भगवानदीन चमार
 2- गया प्रसाद चमार पिता भगवानदीन चमार दोनो निवासी ग्राम कारीगोही तहसील मझगवां जिला सतना म०प्र०.....निगराकारगण
 बनाम

1- रामानुज कुशवाहा पिता रघुवर कुशवाहा निवासी ग्राम कारीगोही तहसील मझगवां जिला सतना म०प्र०
 2- म०प्र०राज्य द्वारा राजस्व निरीक्षक राजस्व निरीक्षक मण्डल मझगवां जिला सतना म०प्र०.....गैरनिगराकार

~~सन्तोष श्रीवास्तव~~
~~18-1-16~~

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक प्रभारी वृत्त मझगवां तहसील मझगवां जिला सतना के प्र०क्र०-39ए12/14-15 में पारित सीमांकन पुष्टिकरण आदेश दिनांक 22/06/15 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959

मान्यवर,

निगराकारगण निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:-

प्रकरण के तथ्य

1- यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कारीगोही प०ह०कारीगोही तहसील मझगवां जिला सतना स्थित आराजी नं०-249/15 म०प्र०शासन के नाम दर्ज कागजात रहा है जिसका अंश अंश रकवा निगराकारगण के पिता एवं अन्य के पक्ष मे वर्ष 1982 मे आबंटित किया गया था तथा मौके पर राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा नाप कर क्षेत्रफल बताया गया था जिस पर निगराकारगण के

M



गया 2/2/16

नि.प्र.मौलाशुभ

(359)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग05025 / II-2016

जिला-सतना

भोला प्रसाद/रामानुज

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सन्तोश श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील मझगवां के प्रकरण क्रमांक 39/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 22.06.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">(बी.एम.शर्मा), सदस्य</p>	